

प्रकरण सं० ..... अनवान .....

Continuation Note Sheet

19.9.17

वकील प्रार्थी एवं पत्नी स्वयं उपर प्रार्थी  
इस मूल वाद में प्रार्थना पत्र पेश करने पर  
पत्रावली आज पेशी में ली गई। प्रार्थी ने  
अतः प्रार्थना पत्र को दारिखल दफ्तर  
करने का निवेदन किया व साथ ही  
मूल वाद का पंचायत में शजीनामा होने  
के कारण मूल वाद को दारिखल दफ्तर  
करने का निवेदन किया। मूल वाद  
के दारिखल दफ्तर किये जाने पर इस  
पत्रावली में आगे कोयवाही का कोई  
औचित्य नहीं रह जाता तथा यह प्रार्थनापत्र  
भी दारिखल दफ्तर किया जाता है।  
प्रार्थना पत्र में दिनांक 12.6.17 को  
जारी स्थगन आदेश निरस्त किया  
जाता है। पत्रावली क्रिसलाशुमार  
होकर वाद तकमिल जावता दारिखल  
दफ्तर हो।

छरीत सिंह  
Identified  
by  
[Signature]  
बलराज लामा  
एडवोकेट

(थशपल आहूण)

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीगंगानगर